

राजस्थान सरकार  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  
निदेशालय एनएचएम, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

क्रमांक एफ.20 (503-XII)एनआरएचएम/एचआरडी/2017/2022

दिनांक : 22/11/2017

-: आदेश :-

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के प्रबन्धकीय संवर्ग के राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तरीय संविदा पदों को भरने हेतु जारी एनएचएम विज्ञप्ति क्रमांक 407 दिनांक 13.04.2016 के क्रम में गुप-सी से संबंधित संविदा ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धक के 38 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख राशि रु 15000/- प्रतिमाह समेकित मानदेय दर पर संबंधित जिलो में नियुक्त किया जाकर निम्नानुसार एतद् द्वारा संविदा आधार पर पदस्थापित किया जाता है।

S.No.	Name of Candidate	Father's / Husband Name	Place of Posting	
			Block	District
1	YOGRAJ SEN	RATAN LAL SEN	Masuda	Ajmer
2	BAHADUR BAMANIYA	RAMAN LAL	Chhota Dunga	Banswara
3	TARUNA SHARMA	SURESH CHANDRA SHARMA	Anandpuri	Banswara
4	SANJAY KUMAR SAIN	POORAN MAL SAIN	Shahbad	Baran
5	SEEMA VERMA	ASHUTOSH VERMA	Chhipa Barod	Baran
6	DR BHEENW RAJ SOLANKI	PHUSA RAM SOLANKI	Sindhari	Barmer
7	AMAR SINGH	GULLA RAM	Baytu	Barmer
8	SURENDRA KUMAR	CHHOGA LAL	Chohatan	Barmer
9	RAMESH	HARAJI RAM JATIYA	Dhorimanna	Barmer
10	DARSHANA PARASHAR	HEMANT KUMAR	Nagar	Bharatpur
11	SURENDRA SONI	MOTI LAL SONI	Mandalgarh	Bhilwara
12	ANIL KUMAR SHARMA	SWAMI NARAYAN SHARMA	Bhopal Sagar	Chittorgarh
13	AVADHESH MEENA	GOVIND LAL	Rawatbhata	Chittorgarh
14	LOKESH KUMAR PANDYA	MAHENDRA KUMAR PANDYA	Dungarpur	Dungarpur
15	JAFAR HAMEED	ABDUL HAMEED	Aaspur	Dungarpur
16	SUDEEP PANDYA	RAJENDRA PRASAD PANDYA	Simalwara	Dungarpur
17	RAVINDRA SINGH RATHORE	BHAGIRATH SINGH RATHORE	Jaisalmer	Jaisalmer
18	SURENDRA KUMAR	PHOOL CHAND	Sankara	Jaisalmer
19	AJAY KUMAR	JAGDISH RAI	Gharsana	Sri Ganganagar
20	HITESH KUMAR TUNGARIA	SOHAN LAL TUNGARIA	Jaswantpura	Jalore
21	DINESH KUMAR PAHARIYA	NATHU LAL	Ahore	Jalore
22	KANA RAM	HARSUKH RAM	Jalore	Jalore

S.No.	Name of Candidate	Father's / Husband Name	Place of Posting	
			Block	District
23	PAWAN JEET KAUR	JAGJEET SINGH	Bhopalgarh	Jodhpur
24	SHRAVAN RAM	JOGA RAM	Balesar	Jodhpur
25	YOGENDRA SINGH	GIRIRAJ SINGH	Itawa	Kota
26	ARVIND SANGWA	GENA RAM SANGWA	Mundwa	Nagaur
27	ARVIND TAILOR	BUDHI PRAKASH TAILOR	Makrana	Nagaur
28	MANOJ KUMAR SHARMA	AMAR NATH SHARMA	Kuchaman	Nagaur
29	PRIYANKA KUMARI GURJAR	RAMESH KUMAR	Kharchi	Pali
30	AZHRUDDEN	JAFFAR HUSSAIN	Bali	Pali
31	RUKSANA BANO	IBRAHIM KHAN	Pali	Pali
32	MANOJ KUMAR TIWARI	RAJENDRA KUMAR TIWARI	Raipur	Pali
33	SATISH MEENA	RAMESH CHAND MEENA	Pratapgarh	Pratapgarh
34	HEMANT KUMAR	NAGAR MAL	Bhim	Rajsamand
35	ROHITASH KUMAR DHABAS	GANPAT LAL DHABAS	Pindwara	Sirohi
36	MADAN LAL	BHAGWAN RAM	Sirohi	Sirohi
37	POONAM MEGHWAL	MOTILAL MEGHWAL	Sarada	Udaipur
38	VIJAY MEENA	JAY NARAYAN MEENA	Kotda	Udaipur

समस्त नव नियुक्त संविदा कार्मिको को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 01.12.2017 तक आवश्यक रूप से अपने आवंटित पदस्थापन स्थान से सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के समक्ष समस्त आवश्यक मूल दस्तावेजों सहित अपनी उपस्थिति देते हुये संबंधित पद पर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें।

समस्त नव नियुक्त संविदा कार्मिक अपने आवंटित पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर, इसकी रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से दिनांक 04.12.2017 को सायं 5.00 बजे तक आवश्यक रूप से ई-मेल आई.डी. [co.hrd.nhm@gmail.com](mailto:co.hrd.nhm@gmail.com) पर भिजवाना सुनिश्चित करावें।

यदि कोई कार्मिक तय समय सीमा में निर्धारित स्थान पर ज्वाइन नहीं करता है तो आगे नियुक्ति के संबंध में उसका कोई अधिकार नहीं होगा एवं उसकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जाकर संबंधित पद को रिक्त पद मानते हुये आगामी कार्यवाही की जायेगी। इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय का अधिकार मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को होगा।

समस्त नव नियुक्त संविदा कार्मिको को निर्देशित किया जाता है कि कार्यग्रहण के समय चिकित्सा प्रमाण पत्र (संलग्न प्रारूप अनुसार) एवं चरित्र प्रमाण पत्र (संलग्न प्रारूप अनुसार) एवं रु 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर (Blank) के साथ उपस्थिति प्रदान कर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करे। निर्धारित अनुबंध का प्रारूप समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों के कार्यालय में उपलब्ध करवा दिया गया है जिसे स्टाम्प पेपर पर प्रिंट किये जाकर नव नियुक्त संविदा कार्मिक के साथ अनुबंध निष्पादित किया जाना है।

उक्त संविदा कार्मिको को प्रथमतः तीन माह (प्रोबेशन अवधि) के लिये लिया जावेगा। तीन माह पश्चात संविदा कार्मिक की सेवाओं के मूल्यांकन के आधार पर उनकी सेवा अवधि को भारत सरकार से प्राप्त अनुमति अनुसार प्रथमतः सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में 31 मार्च (वित्तीय वर्ष अवधि) तक के लिये बढ़ाया जायेगा।


अनुबंधित संविदा कार्मिको को उक्तानुसार समेकित मानदेय के अतिरिक्त अन्य कोई परिलाभ देय नहीं होंगे। इस संबंध में आगामी कार्यवाही भारत सरकार द्वारा परियोजना के अन्तर्गत जारी विशिष्ट प्रावधानों के अध्याधीन होगी।

इस सम्बन्ध में संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त नव नियुक्त संविदा कार्मिकों के मूल दस्तावेजों (विज्ञप्ति में उल्लेखित अनुसार आयु, शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव, जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों) की जाँच कर समस्त आवश्यक दस्तावेजों की एक-एक स्वप्रमाणित प्रति रिकार्ड में रखते हुए नियमानुसार कार्यग्रहण करवाये जाकर अनुबंध के निष्पादन की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

यदि संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष इनका मूल्यांकन अगले वर्ष की 31 मई तक निष्पादित नहीं किया जाता है, तो 01 जून से अनुबंध स्वतः समाप्त हो जायेगा, इस संबंध में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जायेगी।

ब्लॉक स्तर के कार्मिकों का मूल्यांकन जिला स्तर पर ही होगा तथा जिला स्वास्थ्य समिति/जिला स्तर की पूर्वानुमति के बिना इसे अन्तिम नहीं किया जा सकेगा।

ब्लॉक मुख्यालय पर यदि बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था है तो उक्त संविदा कार्मिकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने की जिम्मेदारी संबंधित ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी की होगी, जो इस आशय की रिपोर्ट एचआर अनुभाग, एनएचएम को ई-मेल आई.डी. [co.hrd.nhm@gmail.com](mailto:co.hrd.nhm@gmail.com) पर भेजेंगे।

  
(सवीन जैन)  
शासन सचिव

चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग एवं  
मिशन निदेशक, एनएचएम

क्रमांक एफ.20 (503-XII) एनआरएचएम/एचआरडी/2017/2022

दिनांक : 22/11/2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं मिशन निदेशक, एनएचएम।
3. निजी सहायक, अति० मिशन निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
4. निजी सहायक, परियोजना निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
5. निदेशक-आरसीएच, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।
6. निदेशक (वित्त), एनएचएम, जयपुर।
7. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, एनएचएम, जयपुर।
8. अनुभाग अधिकारी, एचआर, एनएचएम, जयपुर।
9. समस्त नोडल अधिकारी/समस्त सलाहकार एनएचएम, जयपुर।
10. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, समस्त जोन, राजस्थान।
11. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त संबंधित जिले।
12. जिला कार्यक्रम प्रबंधक/जिला लेखा प्रबंधक, एनएचएम, समस्त संबंधित जिले।
13. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, समस्त संबंधित ब्लॉक।
14. प्रभारी सर्वर रूम को वर्णित आदेश को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करने एवं समस्त संबंधितों को ई-मेल करने हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।

  
शासन सचिव

चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग एवं  
मिशन निदेशक, एनएचएम